न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2018/863/भरतपुर

1– इसमाइल पुत्र इस्लाम
2– इब्राहिम पुत्र इस्लाम
3– इदरीश पुत्र मूसा
4– इसराइल पुत्र मूसा
समस्त जाति मेवान निवासी खाडियावास पापडा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– मु. मौजवी बेवा चिम्मन
2– रमजान पुत्र चिम्मन
3– खुर्शीद पुत्र चिम्मन
4– शहीद पुत्र चिम्मन
समस्त जाति मेवान निवासी ग्राम जोतपापडा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पहाड़ी जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
डॉ श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित :–
श्री उमेश कुमार, अभिभाषक अपीलान्ट

श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 30 मार्च, 2021

निर्णय

1– उपर्युक्त अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–1–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट ने एक राजस्व वाद खसरा नम्बर–1369/0.23, 1373/1.74, 1382/2.37, 1421/0.40 वाके ग्राम जोत पापडा तहसील पहाड़ी के संबंध में धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण उपस्थित हुये और जवाबदावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर 9 तनकियात कायम की और विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर–2 व 6 का निर्णय करते हुये वादीगण का वाद दिनांक 6–4–2016 को रेस्ज्यूडिकेटा के अन्तर्गत मानते हुये खारिज कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर वादीगण / रेस्पोन्डेन्ट ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील पेश की। जिसको विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–1–2018 को अपील को आंशिक स्वीकार कर वादीगण का वाद ही स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–1–2018 विरूद्ध न्याय, नियम व रिकार्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने तनकी संख्या–6 का निर्णय अपीलान्टस / प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह मानते हुये पारित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व निर्णय का क्रियान्वयन अवधि व्यतीत होने के कारण नहीं हो सका था अतः यह मामला धारा–11 के अन्तर्गत नहीं आता है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपने आप में विरोधाभाषी है क्योंकि एक तरफ तो विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर वादीगण/रेस्पोन्डेट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ दावे को भी डिक्री फरमा रहे हैं। अतः पारित निर्णय एवं डिक्री विरोधाभाषी होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा गम्भीर विधि एवं क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की गयी है जिसमें अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड निर्णय व डिक्री है। जबकि इस प्रकार का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिये विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर

अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–1–2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय नहीं दिया था लेकिन विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने तनकीवार निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय पूर्ण विवेचनात्मक निर्णय है, जो कि तार्किक है। अपील में कोई ठोस व सारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसलिये यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होनें अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की :–

1– डीएनजे–2006 (एससी) पेज–498
2– आरआरटी–2012(2) पेज–894
3– आरआरडी–2009 (एच.सी) पेज–417
4– आरआरडी–2008 पेज–567

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं प्रस्तुत नजीरों का भी आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उभयपक्षों के मध्य सर्वप्रथम एक दावा संख्या–118/1969 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग में प्रस्तुत हुआ था जिसमें कथित रूप से राजीनामा के आधार पर डिक्री होना बताया गया। इसके बाद एक दूसरा दावा संख्या–314/1968 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जो कि दिनांक 1–9–1971 को डिक्री हुआ। इस निर्णय के विरूद्ध एक अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत हुई जो रेस्ज्यूडिकेटा सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार कर ली गई और डिक्री दिनांक 1–9–1971 को अपास्त कर दिया गया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल में एक अपील प्रस्तुत की गई जो राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने दिनांक 26–10–1977 को स्वीकार कर ली और विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय अपास्त कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, डीग का निर्णय दिनांक 1–9–1971 को बहाल रखा। उक्त निर्णय के विरूद्ध अन्य कोई अपील की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार यह निर्णय अन्तिम हो गया।

8– एक तीसरा दावा संख्या–243/2010 न्यायालय सहायक कलेक्टर, पहाड़ी में प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रतिवादीगण / प्रत्यर्थीगण ने जवाब दावा पेश

किया गया। उक्त दावा में 9 तनकीयात कायम की गई। निर्णय दिनांक 6–4–2016 द्वारा दावा खारिज कर दिया गया। इसमें रेस्ज्यूडिकेटा भी एक बिन्दु था। प्रत्यर्थीगण का यह कथन कि इस प्रकरण में रेस्ज्यूडिकेटा नहीं लगता क्योंकि पिछला वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री हुआ था। अतः राजीनामा से दी जाने वाली डिक्री पर रेस्ज्यूडिकेटा नहीं लगेगा क्योंकि राजीनामा के आधार पर पुराना दावा डिक्री हुआ था। उन्होंने एआईआर–1970 (राज.) पेज–104 एवं आरआरडी–1971 पेज–99 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। उक्त दोनों न्यायिक दृष्टान्तों में इसी मत को प्रतिपादित किया है। लेकिन इस प्रकरण के तथ्य इसके विपरीत हैं। दावा संख्या–314/1968 जो दिनांक 1–9–1971 को डिक्री किया गया है वह राजीनामा या कम्प्रोमाइज डिक्री की श्रेणी में नहीं आता है। अतः इस प्रकरण पर यह न्यायिक दृष्टान्त लागू नहीं होते।

9– दावा संख्या–314/1968 विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 26–10–1977 को निर्णीत हुआ जिसमें विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय अपास्त कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, डीग का निर्णय निर्धारित कर दिया। लेकिन इस डिक्री की पालना आज तक नहीं की गई। राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26–10–1977 को भी अब तक 42 वर्ष हो चुके हैं इसलिये उनकी पालना अब संभव नहीं है, पर इसके लिये प्रत्यर्थीगण ही दोषी हैं। उनकी इस डिक्री की पालना करवानी चाहिये थी जो उन्होंने नहीं करवायी। अतः प्रत्यर्थीगण की लापरवाही से ऐसा हुआ है।

10– इस प्रकार उक्त विवेचन के अनुसार विद्वान उपखण्ड अधिकारी, डीग का निर्णय दिनांक 6–4–2016 विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय है। जबकि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, डी का निर्णय अपास्त कर एवं अपील डिक्री करके बहुत भारी भूल करदी है। अतः अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है।

11– फलस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 30–1–2018 निरस्त किया जाता है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 6–4–2016 बहाल किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य